

उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

पंजीकृत अधिकारी: ~~सि. वि. उ. उ. उ.~~

कदना संख्या - 131/18

सीमा पंजी देवी W/O भूरुलाल निं-अजपुरा

---प्रार्थीगण

पंजी देवी W/O ज्वारा गाडरी निं अजपुरा
काशी S/O लाला गाडरी निं-अजपुरा
देवी S/O लाला गाडरी निं-अजपुरा, भीलवाड़ा

---विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राज0 भू0राजस्व अधिनियम 1956

:: निर्णय ::

दिनांक:- 21-5-18

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राज0भू0राज0 अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम अजपुरा पटवार हल्का हल्लेड तहसील व जिला भीलवाड़ा में उसके खाते संयुक्त खातों की आराजी नम्बर 668 कुल किता 1 रकबा 0.0 बीघा 0.6 बिस्वा स्थित हैं। वाद त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा धी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढ़ी आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 18-5-18 को पंजीबद्ध किया जाकर रण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते एवं कब्जे काश्त की से पत्थरगढ़ी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में भी प्रकार की हैरा-फैरी होने का आदेश नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते अतः इन तथ्यों को देखते हुये नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पर आवेदन पत्र प्रार्थी कार योग्य है।

:: आदेश ::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 111-128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया र ग्राम अजपुरा पटवार हल्का हल्लेड तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित आराजी नम्बर 668 कुल किता 1 रकबा 0.0 बीघा 0.6 बिस्वा भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु रगढ़ी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु भू- अभिलेख निरीक्षक 101 को 100 रुपये (अक्षर:- 100) शर्त फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें। शर्त फीस जमा होने पर पक्षकारान् की मौजूदगी में मौके पर कब्जे की यथास्थिति को बनाये हुये मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढ़ी की जावें। अगर फसल खड़ी हो तो रगढ़ी नहीं की जावें।

उपखण्ड अधिकारी,
भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

लेपि:-तहसीलदार, भीलवाड़ा को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट 7 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी,
भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा